



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052025-263472
CG-DL-E-29052025-263472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2025/ज्येष्ठ 8, 1947

No. 309]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2025/JYAISTHA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

आयकर

सा.का.नि. 352(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रकाशित हुई, में:—

(i) पृष्ठ संख्या 54 पर, अनुसूची 80 झड में, पंक्ति मद “कछ” के पश्चात, एक नई पंक्ति मद “कज” अंतः स्थापित की जाएगी और तदनुसार, अनुसूची 80 झड के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची-80-इड		धारा 80इड के अंतर्गत कटौतियाँ			
धारा 80इड के अंतर्गत कटौतियाँ	क	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रम की बाबत कटौतियाँ			
	कक	असम	कक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कख	अरुणचल प्रदेश	कख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कग	मणिपुर	कग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कघ	मिजोरम	कघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कङ	मेघालय	कङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कच	नागालैंड	कच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कछ	त्रिपुरा	कछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कज	सिक्किम	कज1	उपक्रम संख्या. 1	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
			कज2	उपक्रम संख्या.. 2	(उपक्रम के प्रपत्र गगख का 30)
	कझ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों के लिए कुल कटौतियाँ (कक 1 से कज2 का योग)			
				कझ	
	ख	धारा 80इड के अंतर्गत कुल कटौतियाँ (कझ)			
				ख	

[अधिसूचना संख्या 50/2025/फा. सं. 370142/14/2025-टीपीएल]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
CORRIGENDUM
New Delhi, the 29th May, 2025
INCOME-TAX

G.S.R. 352(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 279(E), dated 30th April, 2025: —

(i) at page number 125, in Schedule 80IE, after row item “ag”, a new row item “ah” shall be inserted and accordingly, for the Schedule 80IE, the following schedule shall be substituted, namely: —

Schedule 80-IE		Deductions under section 80-IE			
DEDUCTION U/S 80-IE	a	Deduction in respect of undertaking located in North-East			
	aa	Assam	aa1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			aa2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ab	Arunachal Pradesh	ab1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ab2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ac	Manipur	ac1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ac2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ad	Mizoram	ad1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ad2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ae	Meghalaya	ae1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ae2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	af	Nagaland	af1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			af2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ag	Tripura	ag1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ag2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ah	Sikkim	ah1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			ah2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	ai	Total deduction for undertakings located in North-east (total of aa1 to ah2)			ai
	b	Total deduction under section 80-IE: (ai)			b

[Notification No.50/2025/F. No. 370142/14/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy.